The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023*- Introduced

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री नित्यानन्द राय**):** महोदय, माननीय अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रो. सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (**DUM DUM**): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019.

Yesterday, the Supreme Court in a judgement has upheld the abrogation of Article 370 by the Government of India. Now, the main question remains when elections will be held in Jammu and Kashmir. The Supreme Court has said that elections must be held in September 2024. All I want to say is that the Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Bill is meant to give reservation to women in Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So, unless the elections are announced by the Election Commission, there is no hurry to pass this Bill of reserving seats in the Jammu and Kashmir legislature. That is why I oppose this Bill.

माननीय सभापति **:** मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

श्री नित्यानन्द राय **:** महोदय, जब रिप्लाई होगा, उस समय सारी बात कह देंगे।? (व्यवधान) रिप्लाई के समय इनकी सारी बात का जवाब दे देंगे।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ठीक है।

प्रो**.** सौगत राय **:** आपने जवाब नहीं दिया।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है:

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री नित्यानन्द राय **:** महोदय, मैं विधेयक को पुर**:**स्थापित करता हूं।

_____

माननीय सभापति **:** आइटम नंबर 16.

<u>12.08 hrs</u>